

प्रेषक,

शाहग मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शारन।

रोचा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

राजस्व अनुभाग-10

लम्बानुः दिनांक: १७ मार्च, 2018

विषय: जनपद अलीगढ़ में ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को कृपि निवेश अनुदान प्रदान किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य आपदा मोर्चक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ में ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को कृपि निवेश अनुदान प्रदान किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य आपदा मोर्चक निधि से निवारण लिया गया है जिसका विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिवर्णन के अधीन रु0 1,40,016/- (रुपये एक लाख चालीस हजार सोलह ग्राम) जिलाधिकारी अलीगढ़ के निवारण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	अलीगढ़ पत्र सं०-१७४७, दिनांक ०९.०३.२०१८	1,40,016
	(रुपये एक लाख चालीस हजार सोलह ग्राम)	1,40,016

2- शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वीकृत धनराशि आहरित करके वैक्षणिक रूप से नहीं उपलब्ध आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिकोण स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-१-८०३/दस-२०१३-१०(२८)/२०११, दिनांक १०.१०.२०१३ (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में विर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से रीधी लागाशी के वैक्षणिक रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-

800-अन्य व्याय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-05-ओलावृष्टि रो राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड रो व्यय-42-अन्य व्याय'' के नामे डाला जायेगा।

4- जिस गद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं उसी गद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय। अन्य किसी भी गद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदमपि न किया जाय।

5- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा रो प्रभावित व्यक्तियों का राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सकाम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा ग्राह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मद्दावार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले ग्राह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यूपी.एनआईसी.इन पर फिल करवाना सुनिश्चित किया जाय।

10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यूओ-0-2/1-11-2013-रा-0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2018 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

11- उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के पास्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शारन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मटों में पुस्तकान्क कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाप्तानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

मराठीय,

(श्याम मोहन तिवारी)

उप सचिव ।

संख्या- १२१ (1)/एक-10-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित:-

1. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, स्वतंत्र प्रभार, (श्री धर्म सिंह सेनी) आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास विभाग, ३०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, (श्री गिरीश चन्द्र यादव) नगर विकास तथा अभाव, सहायता एवं पुनर्वास विभाग, ३०प्र० शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. य००पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, ३०प्र०।
8. सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
10. समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)

उप सचिव ।